प्रपत्र – 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	:–	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – ।।" के अन्तर्गत कांकेर जिला के कांकेर वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत चारामा एवं नरहरपुर ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:–	प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्राजेक्ट्स लिमिटेड संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स रायपुर छ.ग.
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:–	ऑप्टिकल केबल फायबर लाईन बिछाने हेतु
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:–	आरक्षित, संरक्षित, एवं नारंगी वन भूमि
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	:–	
	(क) आरक्षित वन	:–	1.138 हे.
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	:–	0.747 हे.
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	:–	2.259 हे.
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	:–	0.386 हे.
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार	:–	घनत्व 0.6 से कम
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:–	भारत नेट परियोजना के तहत सड़क के समान्तर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाई जावेगी। जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होगी।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	:–	पुनरूत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	:–	आवश्यक नहीं है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive	:–	नहीं है।

क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बयोस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं ? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।

11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे। :— आवश्यक नहीं है।

12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण देवें। :— आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्राजेक्ट्स लिमिटेड संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स रायपुर छ.ग.द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थल — चारामा, कांकेर, नरहपुर, सरोना

दिनांक — 22/2/2020

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, कांकेर वन मण्डल के चारामा, नरहरपुर, सरोना, कांकेर परिक्षेत्र अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.144 हे.वनभूमि एवं 0.386 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 4.530 हे. वनभूमि की मांग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उक्त वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 22/2/2020 को मेरे द्वारा किया गया ।

बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुलर्भ/संकटापन्न/ विशिष्ठ प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्राजेक्ट्स लिमिटेड संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स रायपुर छ.ग. के द्वारा कांकेर जिला के कांकेर वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत चारामा एवं नरहरपुर ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 4.530 हें. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु किसी भी प्रकार के वृक्षों का विदोहन नहीं किया जावेगा। सड़क के समान्तर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन कक्ष का घनत्व 0.6 से कम है। वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई अन्य गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

कांकेर जिले के कांकेर वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना के ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने से ग्रामों में दूरसंचार की आधुनिकतम सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ (एस.टी.डी, इन्टरनेट, फैक्स, ई–मेल इत्यादि) की सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी। जिसमें देश के हर कोने के लोग दूरसंचार के माध्यम से जुड़ जायेगें। ग्रामीण स्तरीय लोगों तक दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध होने पर गावों के लोगो में जागरूकता आएगी तथा लोग दूरसंचार/मीडिया के माध्यम में होने वाले घटनाक्रम की जानकारी त्वरित पा सकेगें। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

(अरविन्द पी.एम)
भा.व.से.
वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर